



क्षेत्रीय कार्यालय,  
REGIONAL OFFICE,  
उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD  
सोनभद्र  
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G0448/O.A. No. 457/2024

दिनांक:-

Date: 04.05.2024

To,

The Registrar,  
Hon'ble National Green Tribunal,  
Copernicus Marg,  
New Delhi.  
E-mail:judicial-ngt@gov.in

Sub:- Submission of status report in pursuant to order dated 25.04.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 457/2024, Sampurna Nand Vs Ashirwad Stone.

Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 25.04.2024 in the matter of O.A. No. 457/2024, Sampurna Nand Vs Ashirwad Stone, the status report is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid information may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.: As above.

Yours faithfully,

  
(U.K. Gupta)  
Regional Officer  
Sonbhadra.

Endt. No. & date as above.

Copy to:-

1. District Magistrate, Mirzapur for kind information please.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information and necessary action please.
4. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, 138, New Lawyer's Chamber, Supreme Court of India, New Delhi-110001.

  
Regional Officer  
Sonbhadra.

Status Report in pursuant to order dated 25.04.2024 passed by Honble NGT in the matter of OA No. 457/2024 Sampurna Nand vs. M/s Ashirwad Stone & Ors.

- UPPCB had issued Show-Cause Notice to the said Stone Crushers vide Letter dated-12.01.2024, which was got received to concerned Stone Crusher on dated 19.01.2024 (Annexure-1).
- The presentation sent by the industry against show-cause notice was received on dated-08.02.2024 in the Regional Office, UPPCB, Sonbhadra (Annexure-2).
- UPPCB conducted field visit on dated 08.02.2024 to verify complying status and observed that the following major air pollution control measures have been adopted by the industry:-

S.NO.	Major Air Pollution Control measures	Installation Status	Remark and Action Taken
1.	Closed metal sheet enclosures at dust emitting points.	Yes	In the light of facts and observations found during site visit, UPPCB revoked the show-cause notice dated 12.01.2024 and allow for operation. UPPCB has imposed the environmental compensation on the said stone crusher for past violation and defaulting days, which amount has not deposited by the industry.
2.	Covering of all conveyer belts.	Yes	
3.	Telescopic discharge chute or Canvas cloth / plastic drum	Yes	
4.	Wind breaking wall around the premises.	Yes	
5.	Water sprinklers at emitting point and wind breaking wall.	Yes	
6.	Smog gun and Rain Gun as dust suppression mechanism.	Yes	
7.	Height of exhaust pipe of DG Set.	Yes	

- Detail Inspection report dated-08.02.2024 is attached herewith (Annexure-3).

The above additional information is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Dated: 04.05.2024

  
04/05/2024

(U.K. Gupta)

Regional Officer

U.P.P.C.B

Sonbhadra



1523

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

H05609-1C-2/NGT-67/SCN/24

दिनांक

Date ...12/12/23...

पंजीकृत

M/S ASHIRWAD STONE (EX. NAME M/S ASHIRWAD STONE WORKS)  
BHAGAUTI DEL. PATHIATTA, CHUNAR,  
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S ASHIRWAD STONE (EX. NAME M/S ASHIRWAD STONE WORKS) BHAGAUTI DEL. PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित-स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायीं गयीं। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S ASHIRWAD STONE (EX. NAME M/S ASHIRWAD STONE WORKS) BHAGAUTI DEL. PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR. की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.com  
वेबसाइट : www.uppcb.com

आदेशित  
मान किन्ना  
19/01/24

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)  
12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.com  
Website : www.uppcb.com

दिनांक 04/02/2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)  
वी0सी0- 12वीं विभूति खण्ड  
गोमती नगर, लखनऊ।

विषय- आपके पत्रांक H05689/C-2/NGT/67/SCN/2024 दिनांक 12.01.2024 कारण बताओ नोटिस के जवाब के संबन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त पत्र के माध्यम से हमारे स्टोन कसर प्लान्ट पर दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2023 के बीच संयुक्त समिति द्वारा किये गये जाँच के दौरान प्रदुषण मानकों को पूरा न किये जाने की बात कही गयी है। इस विषय में अवगत कराना है कि इस बीच प्रदुषण कार्यालय के 2 कर्मचारी प्लान्ट पर आये थे जिन्हे सारी चीजों का अवलोकन कराने के साथ ही पूर्ण किये गये मानकों से अवगत कराया गया था।

महोदय हमारे कसर प्लान्ट पर प्लान्ट के चारो तरफ 15 फीट उंची पक्की इंट की चहारदिवारी (वाउन्ड्री ) बनी है जिसमें तीन तरफ वाउन्ड्री व एक तरफ उत्तर दिशा में गाड़ियों के आवागमन के रास्ते के साथ 18 फीट का डक व रास्ते से लगा 12 फीट उँचा स्वीच रूम है साथ ही पूरी वाउन्ड्री पर पानी के फव्वारे हेतु स्प्रिंगल लगा है, पानी के छिड़काव हेतु स्मोकगन है। कसर प्लान्ट पर प्रदुषण मानकों के अनुपालन हेतु उपलब्ध संसाधनों का विवरण निम्नवत है-

1. कसर प्लान्ट के चारों तरफ रास्ते को छोड़कर 15 फीट उंची पक्की इंट की वाउन्ड्री है। जिसपर पानी के छिड़काव हेतु फव्वारे के रूप में स्प्रिंगल लगे हैं।
2. पूरी मसीनें प्राइमरी, सेकेन्ड्री, झरना, कन्वेयर आदि पूरी तरह से सेड से कवर्ड है, ताकि घूल बाहर न जाये।
3. प्राइमरी, सेकेन्ड्री व कन्वेयर पर पानी के छिड़काव हेतु फव्वारे लगे हैं।
4. कन्वेयर पर टेलीस्मोपिक सूट लगे हैं।
5. कसर प्लान्ट पर वाटर मीटर लगा है।
6. एनर्जी मीटर भी स्वीच रूम में लगा हुआ है।
7. हरित पट्टिका के कम में पर्याप्त वृक्षारोपड़ किया गया है।
8. जेनरेटर कैनोपी के साथ ही साइलेन्सर की उंचाई लगभग 8 फीट है।
9. कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण दिये गये हैं।
10. प्लान्ट के संचालन के दौरान पानी छिड़काव के पर्याप्त प्रबंध किये गये हैं।

महोदय, हमने अपने प्लान्ट पर प्रदुषण मानक के लगभग सभी मानक पहले से ही पूरे किये गये हैं जिसका स्थलीय निरीक्षण कर सत्यापन किया जा सकता है। इसके बावजूद भी यदि कहीं कोई अपूर्ण लगे तो कृपया मार्गदर्शन करें।

संलग्नक- उपरोक्त पूर्ण किये गये मानक के फोटोग्राफ संलग्न है।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. क्षेत्रीय प्रदुषण अधिकारी, सोनभद्र।
3. खान अधिकारी, मीरजापुर।

आपकी

अनीता सिंह  
04/02/2024


अनीता सिंह

(आशीर्वाद स्टोन)

ग्रा0-भगौतीदेई, चुनार, मीरजापुर

मो0 न0. 9695635912

1525





**क्षेत्रीय कार्यालय**  
**उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,**  
**सोनभद्र**



पत्रांक:- G0111/0A No-521/S.C./2024

दिनांक: 08/02/2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2),  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
टी०सी० 12, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ।

**विषय:-** मेसर्स आर्शिवाद स्टोन (पूर्वनाम-आर्शिवाद स्टोन वर्क्स), ग्राम-भगौतीदेई, पोस्ट-पटिहट्टा, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित करने हेतु उद्योग से प्राप्त प्रत्यावेदन के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि प्रश्नगत उद्योग के विरुद्ध राज्य बोर्ड के पत्र संख्या-H05689/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक-12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उद्योग द्वारा प्रेषित अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से उक्त कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्राप्त प्रत्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड के अधिकारियों द्वारा उक्त सन्दर्भित उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-08.02.2024 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ संलग्न है। निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सन्दर्भित उद्योग मेसर्स आर्शिवाद स्टोन (पूर्वनाम-आर्शिवाद स्टोन वर्क्स), ग्राम-भगौतीदेई, पोस्ट-पटिहट्टा, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर पर 113 दिनों की डिफाल्टर अवधि हेतु रू० 7,06,250.00 धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये उद्योग के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-H05689/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक-12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के साथ निक्षेपित किये जाने की संस्तुति की जाती है:-

- I. उद्योग पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि उद्योग द्वारा निर्धारित समयावधि में राज्य बोर्ड के खाते में जमा किया जाय।
- II. उद्योग का संचालन प्रारम्भ होने पर परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण एन०ए०बी०एल० एक्रीडेटेड प्रयोगशाला अथवा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर एक माह के अन्दर आख्या राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
- III. उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का संचालन एवं रख-रखाव इस प्रकार से किया जाये जिससे कि परिवेशीय वायु गुणता सदैव बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप रहे तथा आस-पास के वातावरण व जन स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- IV. उद्योग स्थल के एक तिहाई भू-भाग पर ऊँचे, घने एवं प्रदूषणरोधी किस्म के पौधों की हरित पट्टिका 03 माह के अन्दर विकसित की जाये एवं तत्सम्बन्ध में राज्य बोर्ड को सूचित किया जाय।
- V. उद्योग द्वारा मा० एन०जी०टी० के उक्त प्रकरण में जारी आदेश/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
- VI. उद्योग द्वारा वाटर स्प्रिंकलिंग में विद्युत की खपत हेतु स्थापित पृथक इनर्जी मीटर एवं जल खपत की मात्रा के मापन हेतु स्थापित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर (वाँटर मीटर) के संचालन सम्बन्धी दैनिक लॉगबुक मेन्टेन की जाय तथा निरीक्षण के समय अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जाय एवं प्रत्येक त्रैमासिक राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाय।
- VII. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु कुल रू० 50000.00 (रूपया पचास हजार) मात्र की बैंक गारण्टी राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।

**संलग्नक-उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,



(यू०के० गुप्ता)  
क्षेत्रीय अधिकारी

मेसर्स आर्शिवाद स्टोन (पूर्वनाम-आर्शिवाद स्टोन वर्क्स), ग्राम-भगौतीदेई, पोस्ट-पटिहट्टा, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित करने हेतु प्राप्त प्रत्यावेदन के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या:-

उक्त संदर्भित उद्योग मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य प्रकरण में आच्छादित है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन हेतु जिलास्तरीय समिति द्वारा उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण दिनांक-28.12.2023 से दिनांक-30.12.2023 तक के मध्य की अवधि में किया गया था। तत्क्रम में निरीक्षण आख्या के आधार पर उक्त उद्योग मेसर्स आर्शिवाद स्टोन (पूर्वनाम-आर्शिवाद स्टोन वर्क्स), ग्राम-भगौतीदेई, पोस्ट-पटिहट्टा, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरूद्ध राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ संख्या-H05689/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक-12.01.2024 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जो उद्योग को सम्बोधित एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को पृष्ठांकित है। तत्पश्चात् उद्योग को निर्गत कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग को प्राप्त करायी जा चुकी है। उद्योग द्वारा उक्त कारण बताओं नोटिस को निक्षेपित करने हेतु प्रेषित प्रत्यावेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उद्योग से प्राप्त प्रत्यावेदन के सन्दर्भ में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. उक्त उद्योग ग्राम-भगौतीदेई, पोस्ट-पटिहट्टा, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर पर स्थापित होना सूचित है। निरीक्षण के दौरान उद्योग के डग के समीप का जिओ को-ऑर्डिनेट्स 25.048116-अक्षांश एवं 82.979781 देशान्तर पाया गया।
2. उक्त उद्योग में कच्चे माल के रूप में स्टोन बोल्डर्स का प्रयोग कर विभिन्न साईज की स्टोन गिट्स का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की स्टोन गिट की उत्पादन क्षमता 96600 मि0टन/वर्ष सूचित है।
3. निरीक्षण के समय पायी गयी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विवरण निम्नवत् है:-

**i. उद्योग के संयंत्र-**

निरीक्षण के समय उद्योग के संयंत्र यथा-प्राइमरी 'जॉ' क्रशर, सेकेण्ड्री 'जॉ' क्रशर, वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स, कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोर कवर्ड पाये गये। डस्ट उत्सर्जन के स्रोत यथा-कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोरों पर टेलिस्कोपिक सूट के प्रतिस्थानी के रूप में कैनवास क्लथ एवं प्लास्टिक ड्रम की स्थापना निरीक्षण के समय पायी गयी।

**ii. डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था-**

निरीक्षण के समय उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया के फलस्वरूप जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उद्योग के संयंत्र यथा प्राइमरी जॉ क्रशर सेकेण्ड्री जॉ क्रशर एवं वाइब्रेटिंग स्क्रीन (झरना) पर वॉटर स्प्रींकलिंग की व्यवस्था स्थापित पायी गयी। उद्योग उद्योग में संयंत्रों एवं डस्ट सप्रेसन स्रोतों पर वॉटर स्प्रींकलिंग की व्यवस्था निरीक्षण के समय स्थापित पायी गयी। उद्योग में डस्ट सप्रेसन हेतु 04 स्मॉग गन स्थापित पायी गयी।



क्रमशः 2/पर....

(2)

**iii. जल खपत मापन हेतु फ्लो मीटर की व्यवस्था:-**

उद्योग में वाटर स्प्रिंकलिंग में विद्युत की खपत हेतु पृथक इनर्जी मीटर एवं जल खपत की मात्रा के मापन हेतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर (वाटर मीटर) स्थापित पाया गया। वाटर स्प्रिंकलिंग में प्रयुक्त जल खपत की मात्रा के मापन हेतु फ्लो मीटर निरीक्षण के समय स्थापित पाया गया, किन्तु वाटर मीटर का सतत संचालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित लॉगबुक का रख-रखाव नहीं पाया गया एवं निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि द्वारा भौतिक रूप से अवगत कराया गया कि अग्रेतर लॉगबुक की रख-रखाव किया जायेगा।

**iv. विण्ड ब्रेकिंग वॉल एवं मेटल रोड की व्यवस्था का विवरण:-**

निरीक्षण के समय उद्योग परिसर के कुछ भाग पर स्टोन डस्ट की परत जमी होने के कारण मेटल रोड/कंक्रीट रोड का सत्यापन नहीं किया जा सका एवं अवशेष भाग पर मेटल/कंक्रीट रोड का निर्माण पाया गया। उद्योग परिसर में विण्ड ब्रेकिंग वॉल स्थापित पायी गयी। उद्योग परिसर के कुछ भाग पर पौधों का रोपण निरीक्षण के समय पाया गया।



4. उद्योग परिसर के कुछ भाग पर पौधों का रोपण निरीक्षण के समय पाया गया। उद्योग में राज्य बोर्ड के आदेश दिनांक-16.02.2018 के अनुपालन में सहमति शर्तों के अनुरूप उद्योग परिसर में हरित पट्टिका विकसित किये जाने हेतु नोटिफिकेशन शपथ-पत्र द्वारा समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में उद्योग को समय प्रदान किया जाना उचित होगा।

5. उद्योग में विद्युत आपूर्ति हेतु 180 के0वी0ए0 क्षमता का एक अदद डी0जी0 सेट स्थापित पाया गया। डी0जी0 सेट के संचालन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु इक्जॉस्ट पाइप की ऊँचाई राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप निरीक्षण के समय स्थापित पायी गयी।



6. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन के अतिरिक्त डस्ट सप्रेसन हेतु वाटर स्प्रिंकलिंग में किया जाता है। घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्प्रवाह जनित नहीं होता है।

*(Handwritten signature)*

क्रमशः 3/पर....

(3)

7. उद्योग का निरीक्षण पूर्व में समिति द्वारा किया गया था। समिति की आख्यानुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं को स्थापित किये बिना उद्योग संचालित किये जाने एवं सहमति शर्तों का उल्लंघन किये जाने के आलोक में उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-H05689/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक-12.01.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक-12.01.2024 के अनुक्रम में उद्योग का प्रतिउत्तर प्राप्त हुआ है, जो निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों के आलोक में संतोषजनक प्रतीत होता है।
8. उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ सं०-105997/UPPCB/Sonebhadra(LAB)/CTO/water/MIRZAPUR/2020 दिनांक-17.12.2020 एवं संदर्भ सं०-105992/UPPCB/Sonebhadra(LAB)/CTO/air/MIRZAPUR/2020 दिनांक-17.12.2020 द्वारा दिनांक-31.07.2025 तक की सहमति आदेश (जल एवं वायु) निर्गत है। उद्योग द्वारा सहमति शर्तों को अनुपालन आख्या प्रत्यावेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। निरीक्षण के समय पाए गए तथ्यों से परिलक्षित होता है कि उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से जारी सहमति शर्तों का संतोषजनक अनुपालन किया जा रहा है।
10. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य के प्रकरण में उद्योग का निरीक्षण पूर्व में दिनांक-19.06.2023, 29.06.2023 एवं 01.07.2023 को जिलास्तरीय समिति द्वारा किया गया था। तत्क्रम में जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक-06.07.2023 के अनुसार उद्योग पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाये स्थापित किये बिना संचालित पाया गया। तत्पश्चात् जिलास्तरीय समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक-28.12.2023, दिनांक-29.12.2023 एवं दिनांक-30.12.2023 को किया गया। जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक-06.01.2024 के अनुसार उद्योग सहमति शर्तों का उल्लंघन कर संचालित पाया गया। उक्त प्रकरण में उद्योग के उत्पादन कार्य को बन्द कर उद्योग की मशीनरी को दिनांक-23.08.2023 को सील किया गया था। उक्त के पश्चात् उद्योग के उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने हेतु दिनांक-02.11.2023 को राज्य बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की गयी थी, जिसके फलस्वरूप 72 दिनों की अवधि में उद्योग का उत्पादन कार्य बन्द होने का तथ्य प्रकाश में आया है। इस प्रकार जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक-06.07.2023 से दिनांक-06.01.2024 तक अर्थात् 185 दिनों तक की अवधि में से 72 दिनों की उत्पादन कार्य बन्द होने की अवधि को छोड़कर अवशेष 113 दिनों की अवधि को डिफाल्टर अवधि में गणना किया जाना उचित है तथा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों दिनांक-08.02.2019 के अनुसार के अनुसार उद्योग पर डिफाल्टर अवधि अर्थात् 113 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निम्न गणनानुसार अधिरोपित किया जाना उचित होगा:-

**Environmental Compensation (EC) = Pollution Index (PI) x No. of days from which the non-compliance has been observed (N) x Factor in Rupees (R) x Factor for scale of operation(S) x Location Factor (LF).**

Where,

**PI=50 (Pollution Index=50 for orange category unit)**

**N =113 (No. of days from which the non-compliance has been observed)**

**R = 250 (R factor in Rupees)**

**S = 0.5 (Factor for scale of operation=0.5 as investment of unit is less than Rs.50 Lac(0.5 for small scale unit)**

**LF=1.0(Location Factor=1.0 as population of Vill. Sonpur, Bhagautidei, Chakjata etc., Chunar, Mirzapur is below 10 lac.(LF is 1.0 for population less than 10 lac)**

Therefore,

**Environmental Compensation (EC) = PI x N x R x S x LF**

**= 50 x 113 x 250 x 0.5 x 1.0**


**= Rs. 7,06,250/- (Rs. Seven Lacs Six Thousand Two Hundred Fifty) only.**

क्रमशः 4/पर....

(4)

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सन्दर्भित उद्योग मेसर्स आर्शिवाद स्टोन (पूर्वनाम-आर्शिवाद स्टोन वर्क्स), ग्राम-भगौतीदेई, पोस्ट-पटिहट्टा, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर पर 113 दिनों की डिफाल्टर अवधि हेतु **रु0 7,06,250.00** धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये संदर्भित उद्योग के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-H05689/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक-12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत निर्गत कारण बताओ नोटिस को निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के साथ निक्षेपित किये जाने की संस्तुति की जाती है :-

- I. उद्योग पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि उद्योग द्वारा निर्धारित समयावधि में राज्य बोर्ड के खाते में जमा किया जाय।
- II. उद्योग का संचालन प्रारम्भ होने पर परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण एन0ए0बी0एल0 एक्रिडेटेड प्रयोगशाला अथवा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर एक माह के अन्दर आख्या राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
- III. उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का संचालन एवं रख-रखाव इस प्रकार से किया जाये जिससे कि परिवेशीय वायु गुणता सदैव बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप रहे तथा आस-पास के वातावरण व जन स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- IV. उद्योग स्थल के एक तिहाई भू-भाग पर ऊँचे, घने एवं प्रदूषणरोधी किस्म के पौधों की हरित पट्टिका 03 माह के अन्दर विकसित की जाये एवं तत्सम्बन्ध में राज्य बोर्ड को सूचित किया जाय।
- V. उद्योग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के उक्त प्रकरण में जारी आदेश/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
- VI. उद्योग द्वारा वाटर सिप्रिंकलिंग में विद्युत की खपत हेतु स्थापित पृथक इनर्जी मीटर एवं जल खपत की मात्रा के मापन हेतु स्थापित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर (वाॅटर मीटर) के संचालन सम्बन्धी दैनिक लॉगबुक मेन्टेन की जाय तथा निरीक्षण के समय अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जाय एवं प्रत्येक त्रैमासिक राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाय।
- VII. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु कुल रु0 50000.00 (रूपया पचास हजार) मात्र की बैंक गारण्टी राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।

  
 08/02/2024  
 (यू0के0 गुप्ता)  
 क्षेत्रीय अधिकारी